"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर 17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2006—पौष 23, शक 1927

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2006

क्रमांक ई-1-21/2003/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के 1997 आवंटन वर्ष के निम्नलिखित अधिकारियों को, आवंटन वर्ष से नौ वर्ष की सेवा दिनांक 1-1-2006 को पूर्ण कर लेने के फलस्वरूप, भा.प्र.से. (वेतन) नियम, 1954 के नियम 3 (1) के परन्तुक के अंतर्गत उक्त तिथि (1-1-2006) से सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक वेतनमान (रु. 12750-375-16500) में अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक स्थानापन्न

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2006.

रूप से नियुक्त किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना
1.	श्री सुबोध कुमार सिंह, 1997	कलेक्टर, रायपुर
2.	श्रीमती निहारिका बारिक, 1997	अपर आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
3.	श्री एम. के. त्यागी, 1997	संयुक्त सचिव, खनिज साधन विभाग तथा कार्यपालन संचालक, खनिज विकास निगम एवं विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, पुनर्वास जिला दंतेवाड़ा पदेन संयुक्त सचिव, गृह विभाग.
4.	श्री जी. एस. धनंजय, 1997	संचालक, लोक शिक्षण

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2006

क्रमांक ई-1-22/2005/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को अधिसमय वेतनमान (रु. 18400-500-22400) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र.	अधिकारी का नाम	वर्तमान पदस्थापना	नवीन पदस्थापना
1.	श्री एस. के. पाठक, (1990)	सचिव, महामहिम राज्यपाल आयुक्त, भू-अभिलेख.	सचिव, महामहिम राज्यपाल एवं आयुक्त, भू-अभिलेख.
2.	श्री आर. पी. जैन, (1990)	विशेष सचिव, गृह विभाग	सचिव, गृह विभाग

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2006

क्रमांक ई-1-23/2005/एक/2.—भारतीय प्रशासनिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को प्रवर श्रेणी वेतनमान (रु. 15100-400-18300) में पदोन्नत किया जाता है तथा उनके नाम के समक्ष उल्लेखित पद पर अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पदस्थ किया जाता है :—

स. क्र. (1)	अधिकारी का नाम (2)	वर्तमान पदस्थापना (3)	नवीन पदस्थापना (4)
1.	श्री बी. एस. अनंत (1993)	संयुक्त सचिव, खाद्य, नागरिक, आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं संचालक, खाद्य एवं नियंत्रक, नापतौल.	विशेष सचिव, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग एवं संचालक, खाद्य एवं नियंत्रक, नाप-तौल.

(1)	(2)	(3)	(4)
2.	श्री मनोहर पाण्डे (1993)	सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़	सचिव, लोक सेवा आयोग, छत्तीसगढ़
3.	श्री एस. के. तिवारी (1993)	कलेक्टर, महासमुन्द	कलेक्टर, महासमुंद

2. श्री अमित अग्रवाल, भा.प्र.से. (सीजी : 1993), जो वर्तमान में भारत सरकार के अधीन केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं, को छत्तीसगढ़ संवर्ग में उनसे कनिष्ठ अधिकारी श्री बी. एस. अनंत, भा.प्र.से. (सीजी : 1993) के प्रवर श्रेणी वेतनमान रु. 15100-400-18300 में पदोन्नति की दिनांक से, प्रवर श्रेणी वेतनमान में प्रोफार्मा पदोन्नति प्रदान की जाती है.

रायपुर, दिनांक 2 जनवरी 2006

क्रमांक ई-1-24/2005/एक/2.—डॉ. रोहित यादव, भा.प्र.से. (2002) को वरिष्ठ श्रेणी वेतनमान (रु. 10650-325-15850) में पदोन्नत किया जाता है. डॉ. रोहित यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, दंतेवाड़ा के पद पर आगामी आदेश तक यथावत् पदस्थ रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. बगाई, मुख्य सचिव.

रायपुर दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1193/997/2005/1-8/स्था.—श्री एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 16-1-2006 से 20-1-2006 तक 5 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 14, 15 एवं 21, 22 जनवरी 2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश अवधि में श्री मंधानी का कार्य श्री श्रीराम सेजकर, अवर सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ संपादित करेंगे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री एम. के. मंधानी, को वि.क.अ., छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एम. के. मंधानी अवकाश पर नहीं जाते तो विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी, छत्तीसगढ़ मंत्रालय, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. सी. सूर्य, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1192/986/2005/1-8/स्था.—श्री ए. मिंज, संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग को दिनांक 26-12-2005 से 3-1-2006 तक 9 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री मिंज को संयुक्त सचिव, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री मिंज अवकाश पर नहीं जाते तो संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति एवं अनुसूचित जाति विकास विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1196/989/2005/1-8/स्था.—श्री बी. एल. पवार, स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय को दिनांक 19-12-2005 से 24-12-2005 तक 6 दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 25-12-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री बी. एल. पवार को स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री बी. एल. पवार, अवकाश पर नहीं जाते तो, स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव कार्यालय के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1198/977/2005/1-8/स्था.—श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग को दिनांक 12-12-2005 से 16-12-2005 तक 5 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 17 एवं 18-12-2005 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दाण्डे को अवर सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

३. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1200/973/2005/1-8/स्था.—श्री एस. आर. सेजकर, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को दिनांक 2-1-2006 से 7-1-2006 तक 6 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 8-1-2006 के सार्वजनिक अवकाश को जोड़ने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. इनके अवकाश अवधि में श्रीमती विभा चौधरी, अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग अपने कार्य के साथ-साथ श्री सेजकर का कार्य संपादित करेगी.

3. अवकाश से लौटने पर श्री सेजकर को अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

4. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

5. प्रमाणित किया जाता है कि श्री सेजकर अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2005

क्रमांक 1202/926/2005/1-8/स्था.—श्री ए. के. आर्य, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग को दिनांक 26-12-2005 से 6-1-2006 तक 12 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री आर्य को अवर सचिव, खनिज साधन विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर्य अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, खनिज साधन विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. मंधानी, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2005

क्रमांक डी 8745/1524/25-2/आ.जा.वि./05.—राज्य शासन वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 4 (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए एतद्द्वारा :—

1. श्री सुब्रत साहू, विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, मंत्रालय, रायपुर को छत्तीसगढ़ राज्य के लिये वक्फ कमिश्नर के पद पर.

2. समस्त जिलाध्यक्षों को अपने-अपने जिलों के लिये अपर सर्वे आयुक्त वक्फ के पद पर, एवं

3. समस्त अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को अपने-अपने अधिकार क्षेत्र के लिये सहायक सर्वे आयुक्त वक्फ के पद पर नियुक्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. राऊत, सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ-1/14/2004/12.—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म सेवा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 सेवा भरती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :—

1. ***संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ:-*** (1) ये नियम "छत्तीगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म सेवा श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 सेवा भरती नियम, 2005" कहलाएगें ।

(2) ये नियम 'राजपत्र' में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे ।

2. ***परिभाषाऐं:-*** इन नियमों में, जब तक प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(क) सेवा के संबंध में 'नियुक्ति प्राधिकारी' से तात्पर्य शासन से है,

(ख) 'आयोग' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग से है,

(ग) 'परीक्षा' से तात्पर्य नियम 12 से अन्तर्गत भरती के लिए ली गई प्रतियोगिता परीक्षा से है,

(घ) 'शासन' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ शासन से है,

(ङ) 'राज्यपाल' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ के राज्यपाल से है,

(च) 'अनुसूची' से तात्पर्य इन नियमों के संलग्न अनुसूची से है,

(छ) 'अनुसूचित जाति' से तात्पर्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति,

(ज) 'अनुसूचित जनजाति' से तात्पर्य है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति,

(झ) 'अन्य पिछड़ा वर्ग' से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर संशोधित छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग (आरक्षण प्रकोष्ठ) अधिसूचना कमांक एफ–8–5–पच्चीस–4–84, दिनांक 26.12.84 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के 'अन्य पिछड़ा वर्ग'।

(ञ) 'सेवा' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म श्रेणी 1 तथा श्रेणी 2 सेवा से है,

(ट) 'राज्य' से तात्पर्य छत्तीसगढ़ राज्य से है.

3. ***विस्तार तथा प्रयुक्ति:-*** छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियम इस सेवा के प्रत्येक कर्मचारी पर लागू होंगे.

4. ***सेवा का गठन:-*** सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात्:–

(1) इन नियमों के लागू करते समय अनुसूची में उल्लिखित पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति,

(2) इन नियमों के लागू होने से पूर्व सेवा में भरती किये गये व्यक्ति तथा

(3) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भरती किये गये व्यक्ति,

5. ***वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि:-*** सेवा का वर्गीकरण उसके लिये वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या इससे संलग्न अनुसूची एक में दिये गये उपबंधों के अनुसार होगी :

परन्तु शासन सेवा में होने वाले पदों की संख्या में, समय–समय पर स्थायी या अस्थायी तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगा.

6. ***भरती का तरीका:-*** (1) इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में भरती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात्:–

(क) प्रतियोगी परीक्षा/ चयन व्दारा सीधी भरती से,

(ख) भौमिकी तथा खनिकर्म सेवा श्रेणी 1 तथा 2 के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) अनुसूची 2 में उल्लिखित अनुसार निर्दिष्ट सेवाओं में निर्दिष्ट पदों पर मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा,

(2) उपनियम (1) के खण्ड (ख) अथवा (ग) के अधीन भरती किये गये व्यक्तियों की संख्या किसी भी समय (अनुसूची एक में उल्लिखित) पदों की संख्या के साथ अनुसूची दो में बताये गये प्रतिशत से अधिक नहीं होगी.

(3) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भरती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भरती का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके द्वारा भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जायेगी.

(4) उपनियम (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, शासन की राय में सेवा की आवश्यकता देखते हुए आवश्यक होने पर शासन, आयोग से परामर्श करने के बाद, सेवा में भरती संबंधी उन तरीकों को छोड़, जिनका उक्त नियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगा, जो शासन द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें.

(5) सेवा में भरती करते समय " छत्तीसगढ़ लोकसेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 " के प्रावधानों तथा इस अधिनियम में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी किये संशोधन भी लागू होंगे ।

7. ***सेवा में नियुक्ति:-*** इन नियमों के लागू होने के बाद सेवा में समस्त नियुक्तियाँ शासन द्वारा की जायेंगी और कोई भी नियुक्ति नियम 6 में उल्लिखित भरती के तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के बाद ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8 .***सीधी भरती किये जाने वाले उम्मीदवारों की पात्रता संबंधी शर्तें:-*** चयन किये जाने के लिये पात्र होने के लिये उम्मीदवार को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी चाहिये, अर्थात:–

(एक) आयु– (क) चयन प्रारम्भ होने की तारीख के बाद आने वाली पहली जनवरी को उसने अपनी आयु के उतने वर्ष पूरे कर लिये हों (जितने की अनुसूची तीन के कालम 4 मे उल्लिखित हैं) किन्तु उतने वर्ष पूरे न किए हों जितने की (अनुसूची तीन के कालम 5 में उल्लिखित हैं)।

(ख) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग का हो तो आयु की अधिकतम सीमा में अधिक से अधिक 5 वर्ष तक की छूट दी जायेगी.

महिला अभ्यर्थियों की आयु, उच्चतम आयु सीमा के साथ समस्त पदों पर सीधी नियुक्ति के लिए आयु दस वर्ष शिथिलनीय होगी, किन्तु विधवा परित्यक्ता एवं तलाक शुदा महिला उम्मीदवार के लिये सामान्य उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष की अतिरिक्त छूट का लाभ दिया जाएगा ।

(ग) उन उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हों अथवा कर्मचारी रह चुके हों, निम्नलिखित सीमा तक तथा निम्नलिखित शर्तों के अधीन छूट दी जावेगी :–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जिसमें कार्यभारित कर्मचारी, आकस्मिकता से वेतन पाने वाला व्यक्ति तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति, में नियोजित व्यक्ति सम्मिलित है, जो अस्थाई रूप से पद धारण करता है तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करता है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.";

(तीन) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणाम स्वरूप जो आयु, निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

व्याख्याः– शब्द "छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः मास तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय के अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवा मुक्त किया गया हो।

(घ) जो उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिक हो उसे अपनी आयु में से उसके व्दारा पहले की गई समस्त प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरुप जो आयु निकले, वह अधिकतम आयु से तीन वर्ष से अधिक न हो ।

व्याख्याः– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत्त सरकार के अधीन कम से कम छः माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिसकी किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन करने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा आवेदन पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलरूवरुप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रुप से कमी किये जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हों ।

(1) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें मस्टरिंग आऊट कन्सेशन के अधीन मुक्त कर दिया गया हो,

(2) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें दुबारा भरती किया गया हो, और (क) नियुक्ति की अल्पकालीन अवधि पूर्ण हो जाने पर, (ख) भरती संबंधी शर्ते पूर्ण हो जाने पर सेवामुक्त कर दिया गया हो,

(3) मद्रास सिविल इकाई (यूनिट) के भूतपूर्व कर्मचारी,

(4) संविदा पूरी होने पर सेवामुक्त किये गये अधिकारी (सैनिक तथा असैनिक) जिसमें अल्पावधि सेवा में नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी शामिल हैं,

(5) अवकाश रिक्तियां पर छः माह से अधिक समय तक निरन्तर कार्य करने के बाद सेवा–मुक्त किये गये अधिकारी,

(6) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्हें इस आधार पर सेवा से मुक्त किया गया हो कि अब वे सक्षम सैनिक नही बन सकेंगे,

(7) ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिनको गोली लग जाने तथा घाव हो जाने इत्यादि के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(ङ) परिवार कल्याण कार्यकम के अन्तर्गत ग्रीनकार्ड धारक उम्मीदवार को अधिकतम आयु सीमा में 2 वर्ष की छूट दी जाएगी,,

(च) आदिम जाति हरिजन तथा पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पुरस्कृत दम्मपतियों के सवर्ण पार्टनर को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी,,

(छ) विकम पुरस्कार प्राप्त खिलाड़ी उम्मीदवारों को सामान्य अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट दी जाएगी

(ज) छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मंडल के कर्मचारियों को अधिकतम आयु सीमा में 38 वर्ष तक की आयु सीमा तक छूट दी जाएगी

(झ) स्वयं सेवी नगर सैनिकों एवं अनायुक्त अधिकारियों को उनके द्वारा पूर्ण की गई नगर सेना सेवा की अवधि के पूर्ण वर्षों के बारबर सामान्य अधिकतम आयु सीमा में छूट दी जाएगी । उपर्युक्तानुसार छूट की सीमा 8 वर्ष होगी अर्थात् ऐसी छूट देने पर संबंधित नगर सैनिक/अनायुक्त अधिकारी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए,

टीपः– उपर्युक्त पैरा 8 (एक) (ग) (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत जिन उम्मीदवारों को परीक्षा/चयन के योग्य माना गया हो, वे यदि

आवेदन–पत्र भेजने के पश्चात् परीक्षा/चयन के पहले अथवा बाद में सेवा से त्याग पत्र दे दें तो नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे । यथापि, यदि आवेदन–पत्र भेजने के पश्चात् उनकी सेवा अथवा पद से छटनी की जाए तो वे नियुक्ति के पात्र बने रहेंगे । किसी भी अन्य मामले में ये आयु सीमाएं शिथिल नही की जावेगी ।

विभागीय उम्मीदवार की चयन हेतु उपस्थित होने के लिये नियुक्ति प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त कर लेनी चाहिए ।

(त्र) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी निर्देश

भी लागू होंगे ।

(दो) ***शैक्षणिक अर्हतायें***– उम्मीदवार के पास सेवा के लिये निर्धारित शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिए जो कि इससे

संलग्न अनुसूची तीन में दर्शाई गई है परन्तुः–

(क) अपवादिक मामलों में आयोग शासन की सिफारिश पर किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास इसे खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं व्दारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण आयोग उम्मीदवार को चयन के योग्य समझता हो, और

(ख) आयोग अपने विवेकानुसार चयन के लिये ऐसे उम्मीदवारों के मामलों पर भी विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हो किन्तु जिन्होंने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियां प्राप्त की हों जो शासन व्दारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो.

(तीन) ***फीसः-*** उम्मीदवार को आयोग व्दारा निर्धारित फीस का भुगतान करना होगा.

9. ***अनर्हताः-*** उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी के लिये सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास आयोग व्दारा उसके चयन के संबंध में अनर्हता के रुप में माना जायेगा ।

10. ***उम्मीदवारों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगाः-*** परीक्षा में बैठने/चयन के संबंध में किसी भी उम्मीदवार की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा तथा आयोग व्दारा ऐसे किसी भी उम्मीदवार को, परीक्षा में बैठने को अनुमति नहीं दी/से साक्षात्कार (इन्टरव्यू) नहीं की, जायेगी जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण पत्र न दिया हो ।

11. ***चयन व्दारा सीधी भरतीः-*** (1) सेवा में भरती के लिये चयन ऐसे अन्तर से किया जावेगा जिसे शासन द्वारा समय–समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित् करें.

(2) सेवा में उम्मीदवारों का चयन आयोग व्दारा उनके समक्ष भेंट करने के पश्चात् किया जावेगा.

(3)(क) सीधी भरती के लिये उपलब्ध रिक्त स्थानों में से 15 प्रतिशत तथा 18 प्रतिशत तथा 14 प्रतिशत स्थान कमशः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित रहेंगे ।

(ख) महिलाओं के पक्ष में समस्त पदों के 30 प्रतिशत पद आरक्षित रहेंगे तथा उक्त आरक्षण सम–स्तर और प्रभागवार (होरीजेन्टल एण्ड कम्पार्टमेंट वाईज) होगा । शासन द्वारा निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदों की भरती की जायेगी ।

(4) इस प्रकार रक्षित रिक्त स्थानों को भरते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नियम (12) में निर्दिष्ट–सूची में आये उनके नामों के कम के अनुसार किया जायेगा चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित पद कुछ भी क्यों न था ।

(5) प्रशासन की दक्षता बनाएं रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये आयोग व्दारा चुने गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार, उपनियम (3) के अधीन यथा स्थिति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त स्थानों पर नियुक्त किये जा सकेंगे ।

12. ***आयोग व्दारा सिफारिश किये गये उम्मीदवारों की सूचीः-*** (1) आयोग अपने व्दारा निश्चित् किये गये मानकों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता कम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों की सूची, जो यद्यपि

उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं हैं, किन्तु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाएं रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, शासन को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिये भी प्रकाशित की जावेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिये गये नामों के कम से उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जायेगा.

(3) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन ऐसी जांच करने के बाद जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाय कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हैं ।

(4) चयन सूची आयोग व्दारा जारी किये जाने की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिये वैध होगी ।

13. ***पदोन्नति व्दारा नियुक्तिः-*** (1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये एक समिति गठित की जायेगी, जिसमें

इससे संलग्न अनुसूची चार में उल्लिखित सदस्य होंगे ।

समिति में कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का होगा, नहीं होने की स्थिति में एक सदस्य अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति का रखा जायेगा ।

(2) समिति की बैठक समान्यतया वर्ष में कम से कम एक बार होगी ।

(3) ऐसे पदों में जिनमें अनुसूची दो के कालम तीन में एक से अधिक पद हो, उन पदों के 15 प्रतिशत अनुसूचित जातियों तथा 23 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियो के उन अधिकारियों/कर्मचारियों के लिये रक्षित हो जायेंगे जो नियम 14 के उपबंधो के अनुसार पदोन्नति के लिये पात्र होंगें । छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी के पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए माडल रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी ।

(4) उप नियम (3) में दर्शाए अनुसार अनुसूचित जाति तथा जनजाति के उम्मीदवारों के लिए प्रकिया शासन के सामान्य प्रशासन विभाग व्दारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए निर्देशों के अनुसार रहेगी ।

14. ***पदोन्नति के लिए पात्रता संबधी शर्तेः-*** (1) उप नियम (2) की व्यवस्थाओं के अध्यधीन, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी जिन्होंने उस वर्ष की पहली जनवरी को इससे सलंग्न अनुसूची चार के कालम 2 में उल्लिखित पद/सेवा पर या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हैं, स्थानापन्न या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जो अनुसूची चार के कालम तीन में अंकित है तथा विचारार्थ क्षेत्र में आते हों ।

स्पष्टीकरण — पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति :— संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा,की अवधि की गणना, उस कलेंडर वर्ष से की जाएगी,, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वतेनमान में आया है और फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं ।

(2) (क) चयन के लिये विचारण क्षेत्र योग्यता सह–वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियरटी) के आधार पर भरे जाने वाले पदों के संबंध में चयन सूची में सम्मिलित किये जाने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या 1, 2 एवं 3 रिक्त पदों के लिये कमशः 5, 8 एवं 10 रहेगी और इसी प्रकार आगे गणना के लिये फार्मूला यह रहेगा कि प्रत्याशित रिक्तियों को दुगूना कर उसमें 4 जोड़ा जाये ।

(2) (ख) जब अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवक ऊपर दर्शाये गये अनुसार विचारण क्षेत्र में पर्याप्त संख्या में उपलब्ध नहीं हो, तो रिक्तियों की संख्या के सात गुने तक विचारण क्षेत्र बढ़ाया जा सकेगा और इस विस्तारित विचारण क्षेत्र में आने वाले अनुसूचित जाति

और अनुसूचित जनजाति के लोक सेवकों के नामों पर आरक्षित पदों को भरने के लिए विचार किया जाएगा ।

(2) (ग) उप नियम (2)(क) की प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त, पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या, चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के, जो विचारण क्षेत्र में हो, नामों पर विचार किया जाएगा ।

(2)(घ) तृतीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से द्वितीय श्रेणी के पद पर तथा द्वितीय श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों की चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड ज्येष्ठता–सह–उपयुक्तता (सीनियारिटी सब्जेक्ट टू फिटनेस) तथा प्रथम श्रेणी के पद से प्रथम श्रेणी के पद पर पदोन्नति के लिए व्यक्तियों का चयन सूची तैयार करने के लिए मानदण्ड योग्यता–सह–ज्येष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) होगा।

(3) (क) ऐसे मामलों में जहॉ पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिर्टी कम फिटनेस) अथवा जिनमें पदोन्नति अनुपयुक्त व्यक्ति को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो वहॉ सभी वर्गों के लिये कोई भी विचारण क्षेत्र नहीं होगा । केवल उतनी ही संख्या में लोक सेवकों के मामालों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जाएगा, जो प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति के कारण प्रत्याशित रिक्तियों की संख्या को भरने के लिए प्रर्याप्त होगी ।

(3) (ख) उप–नियम (3)(क) का प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त पूर्वोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25 प्रतिशत, जो भी अधिक हो, के नाम चयन सूची में सम्मिलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जाएगा ।

(4) शासन द्वारा पदोन्नति हेतु निर्धारित आरक्षण रोस्टर के अनुसार पदोन्नति की जाएगी ।

(5) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अन्य प्रावधान भी यथास्थिति, पदोन्नति के संबंध में लागू होंगे ।

15. ***उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना:-*** (1) समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में निर्धारित शर्तों को पूरी करते हो तथा जिन्हें समिति सेवा में पदोन्नति के लिए उपयुक्त समझे । सूची में उतने नाम सम्मिलित किए जायेंगे, जितने सूची बनाने की तारीख से 1 वर्ष के भीतर सेवा निवृत्त तथा पदोन्नति के कारण रिक्त स्थान संभावित हों । इसके अतिरिक्त उक्त अवधि में होने वाले अप्रत्याशित रिक्त स्थानों को भरने के लिए सुरक्षित सूची तैयार की जाये ।

(2) उपयुक्त अधिकारियों की सूची छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार किया जाएगी ।

(3) इस प्रकार तैयार की गई सूची का प्रति वर्ष पुनर्विलोकन तथा पुनरीक्षण किया जायेगा ।

(4) यदि इस प्रकार के चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के दौरान यह प्रस्तावित किया जाय कि यथा स्थिति सिविल सेवा के किसी सदस्य का अधिकमण किया जाय, तो समिति प्रस्तावित अधिकमण के संबंध में अपने कारण को लेखबद्ध करेगी ।

16. ***आयोग से परामर्श:-*** आयोग के अध्यक्ष या सदस्य की अध्यक्षता में विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श की अपेक्षा का पालन किया गया माना जाएगा तथा पृथक से आयोग के साथ परामर्श किया जाना आवश्यक नहीं होगा ।

17. ***प्रवर सूची:-***

(1) आयोग, शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा और यदि उसमें वह कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो उसे अनुमोदित करेगा ।

(2) यदि आयोग शासन से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो वह प्रस्तावित परिवर्तनों के संबंध में शासन को सूचित करेगा तथा शासन उस पर यदि कोई मत प्रकट करे तो

उस पर ध्यान देते हुए, ऐसे संशोधनों सहित, यदि कोई हो जो उसकी राय में न्यायोचित तथा उपयुक्त हो, सूची को अंतिम रूप से अनुमोदित कर सकेगा ।

(3) आयोग व्दारा अंतिम रूप से अनुमोदित सूची सेवा के सदस्यों की अनुसूची चार के कालम 4 में उल्लिखित पद पर अनुसूची चार के कालम 2 पर उल्लिखित पद से पदोन्नत करने के लिये प्रवर सूची होगी ।

(4) प्रवर सूची सामान्यतः तब तक लागू रहेगी, जब तक कि नियम 15 के उप नियम (3) के अनुसार उसका पुन पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण न किए जाएं, किन्तु इस सूची की वैधता इसके बनाने की तारीख से 18 महीने की अवधि के बाद नहीं बढ़ाई जा सकेगी ।

परन्तु प्रवर सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से कर्तव्य के निर्वाह अथवा पालन में गंभीर चूक होने की स्थिति में शासन के कहने पर प्रवर सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि आयोग उचित समझे, तो प्रवर – सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगा ।

18. ***प्रवर सूची से सेवा में नियुक्तिः-*** (1) प्रवर सूची में सम्मिलित अधिकारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्तियाँ उसी कम से की जावेंगी जिस कम से ऐसे अधिकारियों के नाम प्रवर सूची में हो ।

परन्तु जहां प्रशासनिक आवश्यकता के कारण ऐसा करना आवश्यक हो, वहां किसी व्यक्ति का, जिसका नाम प्रवर सूची में न हो या प्रवर सूची में जिसका अगला नाम न हो, सेवा में नियुक्त किया जा सकेगा । यदि शासन को यह समाधान हो जाय कि रिक्त स्थान संभवतः तीन माह से अधिक अवधि के लिये नहीं हैं ।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम सेवा की प्रवर सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि प्रवर सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई खराबी उत्पन्न न हो जाय जो शासन, की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करता हो ।

19. ***परिवीक्षाः-*** सेवा में पदोन्नत/सीधी भरती किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जायेगा ।

20. ***निर्वचनः-*** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे शासन को निर्दिष्ट किया जायेगा, और उस पर उसका निर्णय अंतिम होगा ।

21. ***छूटः-*** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह ऐसे व्यक्ति के संबंध में, जिस पर ये नियम लागू होते हो, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को सीमित या कम करती है जो उसको उचित और न्यायसंगत प्रतीत होता हो ।

परन्तु मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जायगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हों।

22. ***व्यावृत्तिः-*** इन नियमों की कोई भी बात, राज्य सरकार व्दारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों या अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये उपबंधित किये जाने वाले अपेक्षित आरक्षण पर प्रभाव नहीं डालेगी ।

23. ***निरसनः-*** मध्यप्रदेश (भौमिकी तथा खनिकर्म श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2) सेवा भरती नियम 1965 समसंख्यक अधिसूचना कमांक 4198–521–बारह दिनांक 17–6–1965 छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में तथा इन नियमों के तत्स्थानी और इनके प्रारंभ होने के ठीक पहिले लागू सभी नियम इसके व्दारा, इन नियमों के अन्तर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद् व्दारा निरसित किये जाते हैं ।

परन्तु, इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन दिया गया कोई भी आदेश या की गई कार्यवाही इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाही समझी जायगी ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

अनुसूची एक
(नियम 6 देखिये)
सेवा में वर्गीकरण, वेतनमान और सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

क्र.	सेवा में सम्मिलित किए गए पदों के नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान रूपये
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		वर्ग एक		
1.	संचालक	1	वर्ग एक	16400–450–20000
2.	अपर संचालक	1	वर्ग एक	14300–400–18300
3.	संयुक्त संचालक (भौमिकी)	4	वर्ग एक	12000–375–16500
4.	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	2	वर्ग एक	12000–375–16500
5.	संयुक्त संचालक (प्रयोगशाला)	1	वर्ग एक	12000–375–16500
6.	उप संचालक (भौमिकी)	14	वर्ग एक	10000–325–15200
7.	उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन)	1	वर्ग एक	10000–325–15200
8.	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	6	वर्ग एक	10000–325–15200
9.	मुख्य विश्लेषक	4	वर्ग एक	10000–325–15200
10.	उप संचालक (वेधन)	1	वर्ग एक	10000–325–15200
11.	उप संचालक (सांख्यिकी)	1	वर्ग एक	10000–325–15200
		वर्ग दो		
1	सहायक भौमिकीविद्	20	वर्ग दो	8000–275–13500
2.	खनि अधिकारी	12	वर्ग दो	8000–275–13500
3.	रसायनज्ञ	15	वर्ग दो	8000–275–13500
4.	सहायक संचालक (वेधन)	2	वर्ग दो	6500–200–10500
5.	सहायक भू–भौतिकीविद्	1	वर्ग दो	6500–200–10500
6	सांख्यिकीविद्	3	वर्ग दो	6500–200–10500
7	सहायक संचालक (प्रशासन)	1	वर्ग दो	6500–200–10500
8	सर्वे अधिकारी	1	वर्ग दो	6500–200–10500

टीप : (1) वर्ग एक के क्रमांक 11 के कालम 3 में एक सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(2) वर्ग दो के क्रमांक 4 के कालम 3 में एक सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(3) वर्ग दो के क्रमांक 6 के कालम 3 में दो सांख्येत्तर पद सम्मिलित है ।
(4) वर्ग दो के क्रमांक 7 में एक सांख्येत्तर पद सम्मिलित हैं ।

अनुसूची दो
(नियम 7 देखिये)
भरती का तरीका

क्र.	विभाग का नाम पद का नाम	पद की संख्या	भरे जाने वाले पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भरती	पदोन्नति	स्थानांतरण	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	वर्ग एक					
	खनिज साधन विभाग					
1	संचालक	1	—	100	—	पदोन्नति के लिये उम्मीदवार न मिलने की दशा में पद भारतीय प्रशासनिक सेवा केडर से प्रतिनियुक्ति से भरा जाए ।
2	अपर संचालक	1	—	100	—	
3	संयुक्त संचालक (भौमिकी)	4	—	100	—	
4.	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	2	—	100	—	
5	संयुक्त संचालक (प्रयोगशाला)	1	—	100	—	
6.	उप संचालक (भौमिकी)	14	—	100	—	
7.	उप संचालक (वित्त एवं प्रशासन)	1	—	—	100	संचालनालय कोष एंव लेखा से प्रतिनियुक्ति से भरा जाए ।
8.	उप संचालक (खनि प्रशासन)	6	—	100	—	
9.	मुख्य विश्लेषक	4	—	100	—	
10	उप संचालक (वेधन)	1	—	—	100	राज्य अथवा केन्द्र शासन के विभाग/ निगम से प्रतिनियुक्ति से भरा जाए ।
11	उप संचालक (सांख्यिकी)	1	—	100	—	एक पद सांख्येत्तर है
	वर्ग दो					
1	सहायक भौमिकीविद्	20	100	—	—	
2	सहायक भू–भौतिकीविद्	1	—	100	—	पदोन्नति के लिये उम्मीदवार न मिलने की दशा में सीधी भरती से भरा जायेगा ।
3	खनि अधिकारी	12	50	50	—	
4	रसायनज्ञ	15	25	75	—	
5	सहायक संचालक (वेधन)	2	—	100	—	एक पद सांख्येत्तर है
6	सांख्यिकीविद्	3	—	100	—	दो पद सांख्येत्तर है
7	सहायक संचालक (प्रशासन)	1	—	100	—	एक पद सांख्येत्तर है
8	सर्वे अधिकारी	1	—	100	—	

टीप :– सीधी भरती समान्यतयाचयन द्वारा की जायेगी,, परन्तु अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने पर प्रतियोगिता परीक्षा तथा चयन द्वारा भरती की जा सकेगी ।

अनुसूची तीन
(नियम 9 देखिए)
सीधी भरती किये जाने वाले व्यक्तियों की आयु तथा अर्हता ।

विभाग का नाम	क्र	पद का नाम	न्यूनतम आयु	अधिकतम आयु	निर्धारित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव
1	2	3	4	5	6
खनिज साधन विभाग	1	सहायक भौमिकीविद्	21 वर्ष	30 वर्ष	भू–विज्ञान- (जिऑलजि)में स्नातकोत्तर की उपाधि या प्रयोगिक भू–विज्ञान में अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान (एप्लाइड जिऑलजि) में एम.टेक उपाधि
	2	रसायनज्ञ	21 वर्ष	32 वर्ष	रसायनज्ञ शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, किसी ख्याति प्राप्त रसायन प्रयोगशाला में अयस्क तथा खनिजों के विशलेषण का तीन वर्ष का अनुभव
	3	खनि अधिकारी	21 वर्ष	30 वर्ष	भू–विज्ञान (जिऑलजि)में स्नातकोत्तर की उपाधि या प्रयोगिक भू–विज्ञान में अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान (एप्लाइड जिऑलजि) में एम.टेक उपाधि
	4	सहायक भू–भौतिकीविद्	21 वर्ष	30 वर्ष	भू–भौतिकी में स्नातकोत्तर की उपाधि

अनुसूची – चार
(नियम 14 और 15 देखिये)

विभाग का नाम	उस सेवा/पद का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	पात्रता की कालावधि	उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य (नियम 14)
1.	2.	3.	4.	5.
खनिज साधन विभाग	1. अपर संचालक	2 वर्ष	संचालक	1. अध्यक्ष – मुख्य सचिव 2. सदस्य – अपर मुख्य सचिव 3. सदस्य – अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव/ खनिज साधन विभाग 4. सदस्य सचिव–विशेष सचिव/ संयुक्त सचिव/उप–सचिव खनिज साधन विभाग
	2. संयुक्त संचालक (भौमिकी)/ संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	3 वर्ष	अपर संचालक	1. अध्यक्ष – अध्यक्ष लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामंकित सदस्य । 2. सदस्य – अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, खनिज साधन विभाग 3. सदस्य सचिव – संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म छत्तीसगढ़
	3. उप संचालक (भौमिकी)	5 वर्ष	संयुक्त संचालक (भौमिकी)	
	4. उप संचालक (खनिज प्रशासन)	5 वर्ष	संयुक्त संचालक (खनिज प्रशासन)	
	5. मुख्य विश्लेषक	5 वर्ष	संयुक्त संचालक (प्रयोगशाला)	
	6. सहायक भौमिकी विद्	5 वर्ष	उप संचालक (भौमिकी)	
	7. खनि अधिकारी	5 वर्ष	उप संचालक (खनिज प्रशासन)	
	8. रसायनज्ञ	5 वर्ष	मुख्य विश्लेषक	
	9. सहायक खनि अधिकारी	5 वर्ष	खनि अधिकारी	
	10. सहायक रसायनज्ञ	5 वर्ष	रसायनज्ञ	
	11. ड्रीलर मैकेनिक	5 वर्ष	सहायक संचालक (वेधन)	
	12. सहायक सांख्यिकी अधिकारी	5 वर्ष	सांख्यिकीविद्	
	13. टोपो सर्वेयर	5 वर्ष	सर्वे ऑफिसर	
	14. वरिष्ठ तकनीकी सहायक	5 वर्ष	सहायक भू–भौतिकी विद	

रायपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक एफ–1/14/2004/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ–1/14/2004/12, दिनांक 21 दिसम्बर, 2005 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. के. त्यागी, उप-सचिव.

Raipur, the 21st December 2005

No. F-1/14/2004/12.—In exercise of powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to the recruitment to the Chhattisgarh Geology and Mining, Class I and Class II service Recruitment Rules; namely :—

Rules

1. **Short title and commencement** :- These rules may be called the Chhattisgarh Geology and Mining, Class I and II Service Recruitment Rules,-2005

   These rules shall come into force with effect from the date of their publication in the "Official Gazette".

2. **Definitions** :- In these rules, unless the context otherwise, requires:-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the service means the Government,

   (b) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission,

   (c) "Examination" means a competitive examination for recruitment to the Service of these rules held under rule 12,

   (d) "Government" means the Government of Chhattisgarh,

   (e) "Governor" means Governor of Chhattisgarh,

   (f) "Schedule" means the schedule appended to these Rules,

   (g) "Scheduled Caste" means the Schedule Cast as specified in relation to this State under article 341 of the Constitution of India,

   (h) "Scheduled Tribe" means the Schedule Tribe as specified in relation to this State under article 342 of the Constitution of India,

   (i) "Other Backward Class" means other backward classes of citizens as specified by the Notification No. F-8-5-25-4-84, dated 26.12.84 of Government of Chhattisgarh, General Administration Department (Reservation Cell), amended by the state Government time to time.

   (j) "Services" means the Chhattisgarh Geology and Mining Class I and Class II Service,

   (k) "State" means the State of Chhattisgarh.

3. **Scope and application**:- without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, these rules shall apply to every member of the Service.

4. **Constitution of the Service** :- The service shall consist of the following persons, namely:-

   (1) Persons who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in the Schedules;

   (2) Persons recruited to the Service before the commencement of these rules; and

   (3) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, scale of pay, etc.**:- The classification of the Service, the scale of pay attached there to and the number of posts included in the Service shall be in accordance with the provisions contained in the Schedule I here annexed:

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the Service, either on a permanent or a temporary basis.

6. **Method of recruitment** :- (1) Recruitment to the Service, after commencement of these rules, shall be done by the following methods, viz.:-

(a) by direct recruitment by Competitive Examination / Selection;

(b) by promotion of substantive members of the Geology and Mining Class I and Class II Service;

(c) by transfer of persons who hold in a substantive capacity in such services as may be specified in schedule 2.

(2) The number of persons recruited under clause (b) or clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule II of the number of duty posts (as specified in Schedule I).

(3) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular vacancy or vacancies in the Service as may be required to be filled during any particular period of recruitment, and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasion by the Government in consultation with the Commission.

(4) Notwithstanding anything contained in Sub-rule (1), if in the opinion of the Government the exigencies of the Service so require, the Government may, after consulting the Commission, adopt such methods of recruitment to the Service other than those specified in those sub-rule, as it may by order issued in the behalf, prescribe.

(5) At the time of recruitment, the provisions of Chhattisgarh Public Service (scheduled caste, scheduled tribe and other backward class reservation) Act 1994 and the amendment made in the Act by General Administration Department of Government time to time, will also be effective.

7. **Appointment to the Service** :- All appointments to the Service after the commencement of these Rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in rule 6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment candidate** :- In order to be eligible to be selected, as candidate must satisfy the following conditions, namely.-

(I) **Age** :- (a) He must have attained the age of (as in column 4 of Schedule III) but not attained the age of (as in column 5 of Schedule III), on the first day of January, which comes after the date of commencement of the selection.

(b) The upper age limit shall be relaxed up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste/Scheduled Tribe or other backward class.

The upper age limit for female candidates shall also be relaxed upto 10 year on all duty post of direct recruitment but an additional

relaxation of 5 years in general upper age limit shall be given to widow destitute and divorced female candidates.

(c) The upper age limit shall also be relaxed in respect of candidates who are or have been employees of the Chhattisgarh Government to the extent and subject to the conditions specified below:-

(i) A candidate who is a permanent or temporary /Government servant of Chhattisgarh should not be more than 38 years of age

(ii) A candidate holding a temporary post, including work charged employees, person getting pay from contingency and person employed in Project Implementation committee, applies for any other post should not be more than 38 years in age.

(iii) A candidate who is a retrenched Government servant shall be allowed to deduct from his age the period of all temporary services previously rendered by him up to a maximum limit of 7 years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "retrenched Government servant" denotes a person who was in temporary Government service of this State or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was discharged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman (Military) shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation:- The term "ex-serviceman" (Military) denotes a person who belonged to any of the following categories and, who was employed under the Government of India for a continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the Economy Unit or due to normal reduction in establishment not more than three years before the date of his registration at any employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service:-

(1) Ex-servicemen (Military) released under mustering out concessions,

(2) Ex-servicemen (Military) enrolled for the second time and retired (a) on completion of short-term employment (b) after fulfilling the condition of recruitment,

(3) Ex-personnel of Madras Civil Unit,

(4) Officers (Military & Civil) discharged on completion of their contract (including short-service Regular Commissioned Office),

(5) Offices discharged after working for more than six months continuously against leave Vacancies,

(6) Ex-servicemen discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers,

(7) Ex-servicemen who are medically discharged account of gun-shot, wounds, etc.

(e) Relaxation of two years in maximum age limit shall be given to a candidate holding green card and family, welfare programme.

(f) Relaxation of five years in general maximum age limit shall be given to general category partner of a couple, prized under the intercaste marriage promotion scheme of schedule caste/tribe and backward class welfare department.

(g) Relaxation of five years in general maximum age limit shall be given to a player candidate awarded with Vikram Puraskar.

(h) Relaxation upto 38 years age limit in maximum age limit shall be given to the employee of Chhattisgarh State Corporation/Board.

(i) Relaxation, of the period equals to the services rendered by volunteer home guards and non-commissioned officers in home guard service shall be given in general maximum age limit. Limit of this relaxation will be 8 years, means the age of home guard/non-commissioned officer should not be more than 38 years including this relaxation.

N.B.- Candidates who are admitted to the selection under the age concessions mentioned in paragraph 8 (I) (c) (i) and (ii) above will not eligible for appointment if after submitting the application, they resign from service either before or after the selection. They will however, continue to be eligible if they are retrenched from the service or post after submitting the applications. In no other case will these age limits be relaxed.

Departmental candidates must obtain previous permission of the appointing authority to appear for the selection.

(j) In addition to above, the instructions issued from time to time by General Administration Department regarding age limit will be applicable.

(II) **Educational qualifications :-** The candidate must possess the educational qualifications prescribed for the service as shown in Schedule III. Provided that :- (a) In exceptional cases the Commissions may, on the recommendation of the Government, treat as qualified candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination conducted by other institutions by such a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the consideration of the candidate for selection, and

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government may also be considered for selection/admitted to the examination at the discretion of the commission.

(III) **Fee:-** Candidate would have to pay fee prescribed by the Commission.

9. **Disqualification:-** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may by the commission to disqualify him for admission/selection to the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of candidates shall be final:-** The decision of the Commission, as to the eligibility or otherwise of a candidate for appearing the examination selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the Commission shall be permitted to appear in the examination/interviewed by the Commission.

11. **Direct Recruitment by Competitive Examination :-** (1) A competitive Examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may in consultation with the commission from time to time determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such order as the Government from time to time in consultation with commission.

11-A. **Direct Recruitment by selection:-** (1) Selection for recruitment to the services shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the Commission, from time to time, determine.

(2) The selection of candidates for the Service shall be made by the Commission after interviewing them.

(3) (a) 15 percent and 18 percent and 14 percent of the available vacancies for direct recruitment shall be reserved for candidates who are members of the Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other backward class respectively.

(b) Reservation for women candidates shall be applicable as per provisions of the Chhattisgarh Civil services (Special provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(4) In filling the Vacancies so reserved candidates who are members of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other backward class shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in rule 12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(5) Candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other backward class by the Commission to be suitable for appointment to the Service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Other Backward class as the case may be, under sub-rule (3).

12. **List of Candidates recommended by the Committee :-** (1) The Commission shall forward to the Government a list arranged in order of merit of the candidates who have qualified by such standards as the Commission may determine and of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes and Other backward class who, though not qualified by that standard, but declared by the Commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appear in the list.

(3) The inclusion of a candidate's name in the list confers no right to appointment unless the Appointing Authority is satisfied, after such enquiry as may be considered necessary that, the candidates is suitable in all respects for appointment to the Service.

(4) The select list shall be valid for a period of one year from the date of issue by commission.

13. **Appointment by promotion :-** (1) A committee shall be constituted to select the suitable candidate for Promotion, which will include the members as specified in schedule four. Committee shall have a member of schedule caste or schedule tribe, if not, a member of schedule caste or schedule tribe shall be included.

(2) The committee, in general, shall meet at least once in a year.

(3) For these posts, in which more than one posts are available in column 3 of schedule 2, 15% of the posts for schedule castes and 23% of the posts for schedule tribes shall be reserved, for the officers/ staff who are eligible for promotion according to the provisions of Rule 14. For class I and Class II posts to be filled through promotion in Chhattisgarh Civil Services (Promotion) Rules 2003, the promotion shall be held according to model roster.

(4) As shown in sub rule(3); the procedure for the candidate belonging to schedule caste or schedule tribe shall be according to the directives issued by General Administration Department time to time.

14. **Conditions of eligibility for promotion :-** The committee shall consider the cases of all persons, who on the 1st day of January of that year, have completed the period of service shown in column 3 of schedule 4 (whether officiating or substantive) in the post/service mentioned in column 2 of schedule 4 or any other post or posts declare equivalent thereto by the Government.

Explanation :- Manner of computation for eligibility for promotion - period of qualifying service on Ist January of the relevant year in which Departmental Promotion Committee/Screening Committee is convened shall be counted from the calendar year in which the public servant has joined the feeding cadre/part of the service/pay scale the post and not from the date of joining of the cadre/part of the service/pay scale of post.

(2) (a) The number of officers/staff, considered to be included in the selection list to be filled in by selection from zone of consideration under merit cum seniority, shall be 5,8 and 10 for 1,2 and 3 vacant posts respectively and likewise formula for further calculation shall be to double the expected vacancies and add 4 to it.

(2) (b) If Public Servant of schedule caste or schedule tribe are not available in sufficient numbers under zone of consideration according to above, the zone of consideration shall be extend seven times the number of vacancies and the name of schedule caste or schedule tribe public servant coming under this extended zone of consideration shall be considered for filling up reserved posts.

(2) (c) In addition to the anticipated vacancies under sub-rule 2 (a) in view of inclusion in the select list of the names of two public servants or 25 percent of the number of the public servants included in select list whichever is more, the names of the required number of the public servants who are in the zone of consideration shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(2) (d) Standards to prepare selection list of persons for promotion from class I post to Class I post shall be Merit cum seniority and standards to prepare selection list of persons for promotion from class III post to class II post, class II to class II post and class II post to class I shall be seniority subject to fitness.

(3) (a) In the cases where promotions to be held either on seniority cum fitness or on seniority leaving the unsuitable person, there shall be no zone of consideration. Only that number of Government servant shall be considered according to seniority, which, in each cadre is sufficient to fill the posts available or expected to be vacant due to retirement during one year.

(3) (b) In addition to the anticipated vacancies as prescribed in sub rule 3 (a), with a view of inclusion, in the select list, the names of two public servant or 25 percent of the number of the public servant included in select list whichever in more, the names of the required number of the public servant shall be considered for each category to fill up the unforeseen vacancies occurring during the course of the aforesaid period.

(4) Promotion shall be done according to Reservation Roster prescribed for promotion by Government.

(5) In the matter of promotion, the provisions of Chhattisgarh Public Service (promotion) Rules 2003 shall be applicable.

15. **Preparation of list of suitable officials :-** (1) The committee shall prepare a list of such persons as satisfy the condition prescribed in, rule 14 above and as held by the Committee to be suitable for promotion to the service. This list shall include as many numbers as are expected to be vacant due to retirement or promotion within one year of the date of preparing the list. Apart from this a list shall also be prepared to fulfill the post unexpectedly vacant during the period.

(2) The list suitable officers shall be prepared according to the provision of Chhattisgarh Public Service (Promotion) Rules 2003.

(3) The list so prepared shall be reviewed and revised every year.

(4) If in the process of selection, review or revision, it is proposed to supersede any member of the Civil Service, the committee shall record its reasons for the proposed super session.

16. **Consultation with the Commission:-** The recommendation of Departmental Promotion Committee presided over by the Chairman or a member of the commission shall be deemed to be a compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and separate consultation with the commission shall not be necessary.

17. **Select List :-** (1) The Commission shall consider the list prepared by the committee along with the other documents received from the Government and, unless it considers any change necessary, approve the list.

(2) If the Commission considers it necessary to make any change in this list received from the Government, the Commission shall inform the Government for the changes proposed and, after, taking into account the

comments, if any, of the Government may approve the list finally with such modification, if any, as may in its opinion be justified and proper.

(3) The list as finally approved by the Commission shall form the Select List for promotion of the members of service to the posts mentioned in column 4 of schedule 4 from the posts as mentioned in column 2 of schedule 4.

(4) The Select list shall ordinarily be in form until it is reviewed or revised in accordance with sub-rule (3) of rule 15, but validity of the list shall not be extended beyond 18monthsfrom the date of its preparation.

Provided that in the event of a grave lapse in the conduct of performance of duties on the part of any person included in the Select List, a special review of the Select List may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the Select List.

18. Appointment to the Service from the Select List :- (1) Appointments of the officers included in the Select List to posts borne on the cadre of the Service shall follow the order in which the names of such officials appear in Select List;

Provided that, where administrative exigencies so required, a person whose name is not included in the Select List or who is not next in order in the Select list, may be appointed to the Service if the Government is satisfied that the vacancy is not likely to last for more than three months.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the Commission before appointment of a person whose name is included in the Select List to the Service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the Select List and the date of the proposal appointment there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to service.

19. Probation :- Every person promoted / directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. Interpretation :- If any question arises relating to the interpretation of these rules it shall be referred to Government whose decision there on shall be final.

21. Relaxation :- Nothing in these Rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it be just and equitable.

Provided that the case shall not be dealt with in any manner less favorable to him than that provided in these rules.

22. Saving :- Nothing in these rules effect reservation and other conditions required to be provided for the Schedule Caste/Schedule Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by State Government from time to time in the regards.

23. Repeal and saving :- Madhya Pradesh (Geology and Mining Class I and Class II Service Recruitment Rules, 1965 vide notification No. 4798-521-XII dated 17.6.1965 in relating to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and resolution enforced immediately before their Commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provisions of these rules.

By order and in the name of Governor of Chhattisgarh.
M. K. TYAGI, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I

(Vide Rule 6)

Ciassification in service, pay scale and number of posts included in service -

S. No.	Name of the post included in the service	Number of post	Class	Scale of Pay
1	(2)	(3)	(4)	(5)
		Class- I		
1	Director	1	Class I	16400-450-20000
2	Additional Director	1	Class I	14300-400-18300
3	Joint Director (Geology)	4	Class I	12000-375-16500
4	Joint Director (Mineral Administration)	2	Class I	12000-375-16500
5	Joint Director (Laboratory)	1	Class I	12000-375-16500
6	Deputy Director (Geology)	14	Class I	10000-325-15200
7	Deputy Director (Finance & Administration)	1	Class I	10000-325-15200
8	Deputy Director (Mineral Administration)	6	Class I	10000-325-15200
9	Chief Analyst	4	Class I	10000-325-15200
10	Deputy Director (Drilling)	1	Class I	10000-325-15200
11	Deputy Director (Statistics)	1	Class I	1000-325-15200
		Class - II		
1	Assistant Geologist	20	Class II	8000-275-13500
2	Mining Officer	12	Class II	8000-275-13500
3	Chemist	15	Class II	8000-275-13500
4	Assistant Director (Drilling)	2	Class II	6500-200-10500
5	Assistant Geo-Physicist	1	Class II	6500-200-10500
6	Statistician	3	Class II	6500-200-10500
7	Assistant Director (Administration)	1	Class II	6500-200-10500
8	Survey Officer	1	Class II	6500-200-10500

Note:-

(1) One supernumerary post is included in column 3 of S.No. 11 of Class I.

(2) One supernumerary post is included in column 3 of S.No. 4 of Class II

(3) Two supernumerary posts are included in column 3 of S.No.6 of Class II

(4) One supernumerary post is included in S.No. 7 of Class II

SCHEDULE - II

(See Rule 7)
Procedure of Recruitment

S. No.	Name of Department/ Name of Post	Number of Post	Percent of posts to be filled			Remarks
			Direct Recruitment	Promotion	Deputation	
1	2	3	4	5	6	7
	Class - I					
	Mineral Resources Department					
1	Director	1	-	100	100	Deputation/ Promotion
2	Additional Director	1	-	100	_	
3	Joint Director (Geology)	4	-	100	_	
4	Joint Director (Mineral Administration)	2	-	100	_	
5	Joint Director (Laboratory)	1	-	100	_	
6	Deputy Director (Geology)	14	-	100	_	
7	Deputy Director (Finance & Administration)	1	-	_	100	Deputation
8	Deputy Director (Mineral Administration)	6	-	100	_	
9	Chief Analyst	4	-	100	_	
10	Deputy Director (Drilling)	1	-	_	100	Deputation
11	Deputy Director (Statistics)	1	-	100	_	Supernumerary post
	Class - II					
1	Assistant Geologist	20	100	-	_	
2	Assistant Geo-Physicist	1	-	100	_	In case of non availability of suitable candidate for promotion, post will be filled by direct recruitment
3	Mining Officer	12	50	50	_	
4	Chemist	15	25	75	_	
5	Assistant Director (Drilling)	2	_	100	_	1 Supernumerary post
6	Statistician	3	_	100	_	2 Supernumerary post
7	Assistant Director (Administration)	1	_	100	_	Supernumerary post
8	Survey Officer	1	_	100	_	

Note:- Generally direct recruitment will be done by selection, but in case of large number of application received, recruitment can be done by competitive examination and selection.

SCHEDULE - III

(See Rule 9)

Age and qualifications of the persons of direct recruitment

Name of Department	S.No.	Name of Post	Minimum age	Maximum age	Required Educational qualifications and experience
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Mineral Resources Department	1	Assistant Geologist	21	30 years	Post graduate degree in Geology or M.Tech. in Practical/Applied Geology
	2	Chemist	21	32 years	Post graduate in Chemistry. Experience in analysis of ores and minerals from any renowned chemical laboratory
	3	Mining Officer	21	30 years	Post graduate degree in Geology or M.Tech. degree in Practical/ Applied Geology
	4	Assistant Geophysicist	21	30 years	Post graduate degree in Geophysics

SCHEDULE - IV
(See Rule 14 & 15)

Name of Department	Name of Service or Post from which promotion is to be made	Eligibility period	Name of Service or Post to which promotion is to be made	Name of member of the Departmental Promotion Committee (Vide Rule 14)
1	2	3	4	5
Mineral Resources Department	1. Additional Director	2 years	Director	1. Chairman - Chief Secretary 2. Member - Additional Chief Secretary 3. Member - Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Mineral Resources Department 4. Member Secretary - Special Secretary/Joint Secretary/Deputy Secretary, Mineral Resources Department
	2. Joint Director (Geology)/ Joint Director (Mineral Administration)/ Joint Director (Laboratory)	3 years	Additional Director	1. Chairman- Chairman, Public Service Commission or member nominated by him. 2. Member - Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Mineral Resources Department 3. Member Secretary - Director Geology and Mining, Chhattisgarh
	3. Deputy Director (Geology)	5 years	Joint Director (Geology)	
	4. Deputy Director (Mineral Administration)	5 years	Joint Director (Mineral Administration)	
	5. Chief Analyst	5 years	Joint Director (Laboratory)	
	6. Assistant Geologist	5 years	Deputy Director (Geology)	
	7. Mining Officer	5 years	Deputy Director (Mineral Administration)	
	8. Chemist	5 years	Chief Analyst	
	9. Assistant Mining Officer	5 years	Mining Officer	
	10. Assistant Chemist	5 years	Chemist	
	11. Driller Mechanic	5 years	Assistant Director (Drilling)	
	12. Assistant Statistical Officer	5 years	Statistician	
	13. Topo Surveyor	5 years	Survey Officer	
	14. Senior Technical Assistant	5 years	Assistant Geo-Physicist	

वित्त विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

विषय :— वर्ष 2005-06 के लिये राज्य भविष्य निधि पर देय ब्याज दर.

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

क्रमांक 688/एल-17/2/ब-4/चार/2003.—राज्य शासन निम्नांकित निधियों में अभिदाताओं की कुल जमा राशियों पर 1-4-2005 से 31-3-2006 तक 8 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर निर्धारित करता है:—

निधियां

1. कर्मचारी भविष्य निधियाँ.

2. अंशदायी भविष्य निधियाँ.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेणु जी. पिल्ले, विशेष सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला महासमुन्द, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

महासमुन्द, दिनांक 7 सितम्बर 2005

क्रमांक/क्यू/1/भू-अर्जन/अ.वि.अ./2-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	कर्रामौना प.ह.नं. 13	0.41	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	बसना-भंवरपुर मार्ग के कि.मी. 9/6 पर खुंटी नाला के पुल निर्माण कार्य.

महासमुन्द, दिनांक 7 सितम्बर 2005

क्रमांक/क्यू /2/भू-अर्जन/अ.वि.अ./3-अ/82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	बसना	भंवरपुर प.ह.नं. 21/7	0.34	कार्यपालन अभियंता, लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.)	बसना-भंवरपुर मार्ग के कि.मी. 9/6 पर खुंटी नाला के पुल निर्माण कार्य.

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक/ 783 /अ.वि.अ./भू-अर्जन/9 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	नवागांव कला प.ह.नं. 118/6	6.81	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.)	चण्डी डोंगरी जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

महासमुन्द, दिनांक 31 दिसम्बर 2005

क्रमांक/ 784 /अ.वि.अ./भू-अर्जन/11 अ/82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
महासमुन्द	महासमुन्द	गुलझर प.ह.नं. 110	13.16	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, महासमुन्द (छ.ग.)	कोटरीपानी जलाशय के डूबान निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, महासमुंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. के. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

सरगुजा, दिनांक 23 दिसम्बर 2005

रा. प्र. क्र. /6/ अ-82/2001-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सरगुजा	अंबिकापुर	सुखरी	0.020	कार्यपालन अभियंता, बरनई नहर संभाग, अम्बिकापुर.	श्याम घुनघुट्टा दायां तट मुख्य नहर के सुखरी सब माइनर के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कवर्धा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कवर्धा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 2 अ-82/01-02.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	सुरजपूरा	3.638	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	राजपुर व्यपवर्तन योजना की नहर-नाली हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 11 अ-82/02-03.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	गांगीबहरा	1.429	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	गांगीबहरा व्यपवर्तन के अंतर्गत डुबान एवं पार निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 6 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	कटंगीखुर्द	3.338	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 7 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	बनखैरा	6.393	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत डुबान हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 8 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	भैंसबोड	4.887	कार्यपालन अभियंता, सुतियापाट परियोजना संभाग, स/लोहारा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	सुतियापाट परियोजना के अंतर्गत लिंक नहर एवं बायीं तट नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

कवर्धा, दिनांक 26 दिसम्बर 2005

क्रमांक 9 अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
कबीरधाम	कवर्धा	नवागांव खुर्द	1.662	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, कवर्धा जिला-कबीरधाम (छ.ग.)	नवागांव व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, कवर्धा के न्यायालय में निरीक्षण किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 29/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	बोतल्दा	0.564	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 30/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	रजघटा	0.061	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 31/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	तिऊर	0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 13 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 32/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसिया	सरवानी	0.081	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 सितम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 33/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रायगढ़	खरसियां	बेन्दोझरिया	0.008	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, खरसिया.	टर्न की पद्धति से खरसिया शाखा नहर के वितरण एवं लघु नहर हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), खरसिया के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. एस. विश्वकर्मा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/3/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	कुसमुल प.ह.नं. 5	0.040	कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. (भ/स.) जिला-जांजगीर-चांपा.	ग्राम चुरतेली, लटेसरा कुसमुल मार्ग निर्माण.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), डभरा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 30 दिसम्बर 2005

क्रमांक-क/भू-अर्जन/4/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	मेढ़ापाली	0.077	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, रायगढ़.	चन्द्रपुर वितरक नहर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/44.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	पाड़ाहरदी प. ह. नं. 10	0.089	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 3, सक्ती.	शिकारीनार सब माइनर नहर. (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/45.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	पाड़ाहरदीं प. ह. नं. 10	0.049	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	कलमीडीह माइनर नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/46.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	अकलसरा प. ह. नं. 6	0.141	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग, क्र. 3, सक्ती.	मुरलीडीह माइनर नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/52.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	डभरा	फरसवानी प. ह. नं. 7	0.230	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग 4, डभरा.	फरसवानी माइनर

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/54.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है, राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	सोंठी प. ह. नं. 7	0.093	कार्यपालन यंत्री, मिनीमाता बांगो नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	सोंठी माइनर नहर (पूरक)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती/जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 3 जनवरी 2006

क्रमांक-क/भू-अर्जन/55.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध, उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	सक्ती	रतनपाली प. ह. नं. 6	0.380	कार्यपालन यंत्री, नहर संभाग क्र. 5, खरसिया.	रतनपाली माइनर नहर (मूल)

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 24 मार्च 2005

क्रमांक 177/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बरेकेल खुर्द, प. ह. नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.368 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
338/3	0.004
166/1 क	0.008
168/3, 362/3	0.004
168/5, 362/5	0.008
168/6, 362/6	0.016
347	0.012
407/1	0.008
408	0.008
409/1	0.004
335, 336	0.028
325/2	0.004
323/5	0.004
168/9, 362/9	0.073
323/6	0.004
332	0.008
323/2	0.004
353	0.002
452/4	0.008

(1)	(2)
323/8	0.016
451/5	0.004
453	0.016
168/8, 362/8	0.040
311	0.085
योग	0.368

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-बरेकेल ब्रांच माइनर-1 R.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 291/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-रगजा, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.194 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
424/1	0.085
424/2	0.081
427	0.028
योग	0.194

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- रगजा उप-वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 292/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-जुड़गा, प. ह. नं. 4
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
351/2	0.020
351/3	0.020
योग	0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-खरसिया शाखा नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 293/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-सक्ती
- (ग) नगर/ग्राम-पासीद, प. ह. नं. 12
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.081 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
552.	0.081
योग	0.081

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पासीद माइनर नहर निर्माण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 294/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-बहेराडीह, प. ह. नं. 18
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.136 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
14	0.024
7	0.004
387/1	0.016
319	0.004
249/7	0.004
248	0.004
246, 250/2	0.020
660/2	0.024
654	0.020
562/7	0.004
272	0.012
योग	0.136

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आमाकोनी ब्रांच माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 295/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-देवरघंटा, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.126 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
314/2	0.004
315/2	0.012
316	0.101
429/3, 5	0.065
572	0.032
304, 305/1	0.121
317	0.263
346	0.093
415	0.745
428	0.061
575	0.008
571	0.012
342	0.008
331	0.012
349/1	0.004
330/1	0.024
330/2	0.004
329/2	0.040
412/14, 15, 21	0.194
413, 414	0.226
418/1, 5	0.323
576/3, 4	0.101
419	0.008
420	0.024
421	0.020
422/2	0.121
422/3	0.032
574	0.008
576/1, 2	0.275
577/3	0.032
422/1	0.141
347/1	0.004
341	0.008
योग 33	3.126

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 296/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर -चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-निमोही, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.015 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/3, 62/1 क	0.053
287/4	0.008
304/2	0.145
53/2, 54/2	0.016
194	0.020
187/4 ख	0.024
205/1 ग	0.113
219	0.028
193/5 ख	0.020
200	0.045
202/1	0.028
224/1	0.012
224/2	0.024
225/3	0.020
222/1, 2	0.020
231/2	0.028
302	0.129
286	0.089
288/2	0.008
287/3	0.008
301/2	0.012
300/1	0.016
309/1	0.028

(1)	(2)
303/2	0.081
288/1	0.020
206/4	0.020
योग 26	1.015

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-धुरकोट उप वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 297/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-ठनगन, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.794 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
320/1	0.057
317	0.008
327/1	0.069
326	0.012
327/2	0.008
329	0.036
332/4	0.012
340	0.016
337/1	0.049
337/2	0.045
338/1	0.036
280/2	0.024
254	0.008
874/2	0.020
277	0.016
278	0.008
346/1	0.008
259	0.008
262	0.036
238	0.008
236/2	0.073
281/1	0.089
280/1	0.024
280/3	0.024
280/4	0.012
280/5	0.012
874/1	0.020
225/1	0.020
872/1	0.008
333/2	0.028
योग 30	0.794

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जांजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 298/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-चुरतेली, प. ह. नं. 6

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.855 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
612/1	0.020
655/6	0.146
655/8	0.012
655/11	0.134
655/4	0.130
655/9	0.065
666/3	0.057
663	0.081
665/1	0.085
668/2	0.036
688/2, 689/2	0.081
665/2	0.008
योग 12	0.855

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 299/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-रामभांठा, प. ह. नं. 8

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.679 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
950/4	0.032
950/1	0.129
951	0.020
955/3	0.020
845/1	0.040
894/2	0.077
949/1	0.012
952	0.036
959/3	0.045
963/2	0.028
962	0.040
923	0.053
953/2	0.012
936/1	0.020
959/5	0.028
931/2	0.024
835/2	0.040
836/1	0.190
894/1	0.069
926	0.061
949/2	0.008
892/1	0.053
893	0.061
859/2	0.049
845/2	0.040
825/1	0.069
822/2	0.069
823/2	0.008
823/1	0.032
823/6	0.032
823/5	0.012
835/1	0.153

(1)	(2)
835/4	0.117
योग 33	1.679

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 300/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-कठर्रापाली, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
176	0.093
योग	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कठर्रापाली माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 301/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-डभरा

(ग) नगर/ग्राम-धिवरा, प. ह. नं. 1

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.261 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
568	0.032
567/2	0.032
479/2	0.053
358	0.016
579	0.016
578/3	0.101
580, 589	0.028
593/3, 593/2	0.101
367	0.020
595/2	0.016
501/1, 2, 597/4	0.109
481/6	0.045
480, 506	0.073
390/2	0.170
389/2	0.186
389/1	0.028
331/3	0.045
359	0.081
355	0.053
354	0.016

(1)	(2)
661/1	0.040
योग 21	1.261

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 302/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-भांटा, प. ह. नं. 10
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.489 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/2	0.069
43/1	0.040
91/2	0.020
144/2	0.024
43/3	0.020
94/1	0.093
161/1 ग	0.057
161/1 ङ	0.097
172/2	0.069
योग 9	0.489

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है -परसा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 303/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-धोबनीपाली, प. ह. नं. 1
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.073 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
113	0.073
योग 1	0.073

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है कटौद ब्रांच माइनर दायीं नहर निर्माण हेतु. (पूरक)

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 304/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-डभरा
- (ग) नगर/ग्राम-गोबरा, प. ह. नं. 7
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.177 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	7	0.020
	8	0.012
	23	0.016
	27/2	0.097
	24/4, 5	0.016
	87	0.012
	88	0.004
योग	7	0.177

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-सिंधरा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 305/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पिरदा, प. ह. नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.040 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	393/2	0.020
	800/11	0.020
योग		0.040

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- पिरदा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 306/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-पोता, प. ह. नं. 6
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.320 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
273/2	0.122

(1)	(2)
331/6	0.049
837/1	0.028
839/1	0.121
योग	0.320

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कुरदा वितरक/ मुक्ता माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 307/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-कुरदा, प. ह. नं. 13

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.407 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
260/1	0.028
272/1	0.028
272/6	0.061
277	0.012
417/6	0.008
393/1	0.101
393/2	0.101
274/10	0.040
269/3	0.028
योग	0.407

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- नावापारा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 308/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)

(ख) तहसील-मालखरौदा

(ग) नगर/ग्राम-भडोरा, प. ह. नं. 14

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.734 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
589/1, 3	0.045
589/2, 590/2	0.032
266/2	0.028
265/1	0.008
199/4	0.028
153, 737/2	0.044
265/2	0.016
243/1	0.045
241	0.158
202/2	0.008
201	0.020

(1)	(2)
199/3	0.020
198/5, 198/1	0.032
196	0.008
197/3	0.012
266/3	0.121
199/2	0.089
158/5	0.020
योग	0.734

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़े रबेली माइनर 2.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 309/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-डोमा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.117 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
147/1, 3	0.028
228	0.032
146/6	0.045
137/2	0.012
योग	0.117

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-डोमा सब माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 310/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अड़भार, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.559 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
177/1	0.125
175	0.288
159/1	0.040
155/3	0.061
203/21	0.045
योग 5	0.559

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- बड़े देवगांव माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 311/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-बुंदेली, प. ह. नं. 8
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.133 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53	0.040
54/2	0.053
63/5	0.012
55/1, 3	0.028
योग	0.133

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कटारी माइनर I.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 312/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.180 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
710/2	0.020
966	0.016
676	0.020
678/4	0.008
721/3	0.012
719/2	0.048
716/2	0.016
716/1	0.040
योग	0.180

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- अचरितपाली सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 313/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-अमेराडीह, प. ह. नं. 04
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.056 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
616	0.032

(1)	(2)
617/2	0.024
योग	0.056

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भुतहा माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 314/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छपोरा, प. ह. नं. 13
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.128 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1074/3	0.004
1074/2	0.008
1069/1	0.024
857/2	0.060
1066, 1067	0.032
योग	0.128

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- छपोरा सब माइनर.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 19 अक्टूबर 2005

क्रमांक 315/सा-1/सात.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा (छत्तीसगढ़)
- (ख) तहसील-मालखरौदा
- (ग) नगर/ग्राम-छोटेसीपत, प. ह. नं. 5
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
406/3	0.061
479/3	0.045
406/6	0.032
471/2	0.020
339/2	0.012
योग	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- चारपारा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 14 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-15/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-.
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-कोतमरा
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.347 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8/2	0.146
9	0.032
8/3	0.065
10	0.482
11	0.097
12	0.097
13/1	0.097
13/2	0.093
14	0.238
योग 9.	1.347

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- कोतमरा जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 14 मई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-16/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अंत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-रायगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-सरवानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.641 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
8	0.077
13/2	0.032
26	0.077
26/2	0.049
28	0.158
59	0.049
60	0.036
57	0.020
53	0.068
29/1	0.085
29/2	0.073
54/3	0.036
50/2, 54/2, 55/2	0.028
58/2	0.016
91/1	0.097
92.	0.101
94/633/1	0.162
94/633/3	0.074
945/633/2	0.371

	(1)	(2)
	100/1	0.032
योग	18	1.641

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सरवानी जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 12 जुलाई 2004

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक-09/अ-82/2003-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1984 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायगढ़

(ख) तहसील-रायगढ़

(ग) नगर/ग्राम-सराईपाली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-6.896 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	63/1	0.421
	63/2	0.502
	63/3	0.162
	63/6	0.227
	226/1	0.174
	63/4	0.551
	225	0.158
	63/5	0.397
	68	0.470
	222/1	0.567
	70	0.959
	74/4	0.567
	74/5	0.081
	216	0.502
	217	0.340
	222/2	0.470
	224	0.348
योग	17	6.896

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- सराईपाली जलाशय हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2005

क्रमांक क/भू-अर्जन/1 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-रायपुर

(ख) तहसील-बलौदाबाजार

(ग) नगर/ग्राम-खम्हरिया

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.053 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
378	0.053
योग	0.053

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- खम्हरिया से चिचौली मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 16 दिसम्बर 2006

क्रमांक क/भू-अर्जन/3 अ/82 वर्ष 2001-2002.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-रीवांडीह
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.05 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
153	1.05
योग	1.05

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- भवानीपुर से रीवांडीह मार्ग हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बस्तर, जगदलपुर छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बस्तर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/12/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-चपका, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.54 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
86/15	0.20
86/8	0.15
175/3	0.04
86/31	0.06
86/29	0.17
36/32	0.15
86/22	0.12
86/24	0.08
86/36	0.08
86/33	0.11
86/7,120	0.09
119/1	0.18
119/2	0.17
175/1	0.05
175/2	0.06
174/1	0.13
173/1	0.12
173/2	0.12
173/3	0.10
121/1	0.11

(1)	(2)
214/1	0.12
220	0.13
योग	2.54

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम - कोसारटेडा जलाशय परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/13/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कुम्हली, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.438 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
1517	0.077
1524	0.154
1587	0.130
1588	0.077
योग	0.438

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा जलाशय परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/22/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-फाफनी, प. ह. नं. 35
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.067 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
118	0.077
120	0.064
328	0.019
126	0.024
121	0.120
122	0.094
123	0.044
338	0.106
337	0.166
330	0.031
385	0.026
388	0.048
387	0.060
386	0.062
383	0.028
376	0.048
370	0.050
योग	1.067

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कोसारटेडा जलाशय परियोजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 21 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/23/अ-82/04-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-पल्ली, प. ह. नं. 59
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.569 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
58/4	0.048
58/8	0.073
58/12	0.064
58/5	0.056
58/1	0.109
53/2	0.161
53/12	0.397
57	0.012
53/10	0.081
48/4	0.032
43/3	0.109
47	0.056
46	0.101
45	0.036
10/3	0.069
10/4	0.052
10/5	0.077
10/6	0.036
योग	1.569

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- कुम्हरावण्ड उद्वहन सिंचाई योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक/क/भू-अर्जन/25/अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-कनकापाल, प. ह. नं. 78
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.232 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
64	0.170
208	0.089
226/10, 231	0.065
226/21 ग	0.105
209	0.121
229	0.117
226/44 क	0.243
62/7, 211, 215, 216	0.162
233/5, 235, 236	0.008
239/1	0.145
218	0.486
230/1	0.008
237	0.105
210	0.012
241	0.105
226/59 ग	0.170
240/2	0.121
योग	2.232

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- झीरम नदी व्यपवर्तन योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

बस्तर, दिनांक 24 दिसम्बर 2005

क्रमांक /क/भू-अर्जन/28/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बस्तर
- (ख) तहसील-जगदलपुर
- (ग) नगर/ग्राम-उलनार, प. ह. नं. 50
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.243 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
4/64	0.243
योग	0.243

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम- पीठापुर तालाब योजना.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.)/ भू-अर्जन अधिकारी, जगदलपुर अथवा संबंधित विभाग के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दिनेश कुमार श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन विशेष सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 01/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पतराटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.788 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.216
174	0.016
1/64	0.072
1/6, 28	0.288
1/8	0.024
18	0.104
52/3	0.004
19	0.108
20	0.148
21	0.020
22	0.160
26	0.160
27	0.160
1/7, 29	0.080
30	0.112
33/2	0.120
33/3	0.232
34/3	0.320
33/4	0.056
34/2	0.168
34/5	0.176
126	0.008
130/1	0.304
52/2 ग	0.216
59	0.080
129	0.158
157	0.036
184	0.070
181, 182	0.216
179/1	0.058
168	0.058
179/2	0.028
178	0.124

(1)	(2)
169/1	0.074
167	0.120
165/1	0.076
164/2	0.016
163/3	0.073
164/1	0.072
160/2	0.152
175	0.158
योग 42	4.788

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय एलबीसी मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 02/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पतराटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.500 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
35	0.120
41/2	0.158
42	0.299
36	0.008
46/1	0.324
40/1	0.223
40/5	0.368
योग	1.500

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय योजना के पिकअप वियर का भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 03/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-सागरपाली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.086 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
41/1 क	0.040
104/1	0.081
105/1, 135/1 क	0.259
100/1	0.040
80	0.012
46/1	0.210
47	0.049

(1)	(2)
110/1, 110/8, 110/9	0.105
109/1	0.137
109/2, 109/3	0.162
104/3, 105/2 क, 106, 107	0.024
40	0.142
21/2 च	0.153
21/2 ट	0.202
24/2	0.065
104/4	0.162
100/2	0.121
99/6	0.226
99/2, 103/1	0.004
79/1 ड़	0.073
35/3	0.247
27/2	0.137
28/1	0.364
45	0.016
135/1 ख	0.126
48/1 ख	0.129
79/1 ख	0.020
41/4	0.202
43	0.049
43	0.089
44	0.227
94/2	0.004
101, 102/1	0.113
94/1	0.101
योग 33	4.086

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय के एलबीसी मुख्य नहर के अंतर्गत अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 04/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-पतराटोली
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.694 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1/45	0.008
1/50	0.004
1/22	0.258
1/21	0.024
1/46	0.012
1/20	0.698
98/100	0.278
1/17	0.412
37	0.724
योग	1.694

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय के स्पील चैनल का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 05/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जशपुर
- (ख) तहसील-पत्थलगांव
- (ग) नगर/ग्राम-रोकबहार
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.908 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/1	0.148
6/1 ग	0.728
40/1	0.268
45/1	0.174
39/1	0.312
41/1	0.096
45/2	0.164
45/4	0.210
46/1	0.298
50/1	0.096
73/2	0.194
68	0.172
69	0.048
योग 13	2.908

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय के आरबीसी मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 06/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम-पतराटोली

(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.026 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
40/3	0.004
65/1 ज	0.004
45/1 झ	0.004
40/4	0.004
69	0.044
71/4	0.094
71/1	0.096
71/5	0.008
71/6	0.254
71/8	0.052
71/7	0.054
71/9	0.076
71/12	0.132
80/1/क	0.112
83/1	0.060
73/1	0.028
योग 16	1.026

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है खमगढ़ा जलाशय के आरबीसी मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 07/अ-82/2004 05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-जशपुर

(ख) तहसील-पत्थलगांव

(ग) नगर/ग्राम- राजाआमा

(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.191 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91/1 क	0.405
91/4 क	0.200
74/3	0.405
277/2	0.004
340/3	0.070
114/18 क	1.344
375/2	0.809
305/3	1.294
373/1	0.769
122/1	0.715
167/57	0.836
225/3	0.096
91/8	0.081
103/35	1.311
103/5 ख	0.004
497/2	0.315
122/2	0.714
103/10	0.045
103/28	0.012
463/6	0.061
91/1 ख	0.350
24/1	0.129
465	0.304
373/2	0.405
94/1	0.040
155/2	0.032
375/1	0.911
318/1	1.000
50	0.384
451/4	0.101
185/1	0.482
154/4	0.150
541/3	1.493
435/7	0.279
468	0 061
101	0.062
295	0.025
366	0.020
368	0.069
364	0.069
454/2	0.020
343	0.008
344	0.069
370	0.089
114/23 ड	0.109
योग 46	16.191

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय के डूबान क्षेत्र का पूरक अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जशपुर, दिनांक 9 दिसम्बर 2005

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 08/अ-82/2004-05.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि को उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
  (क) जिला-जशपुर
  (ख) तहसील-पत्थलगांव
  (ग) नगर/ग्राम-कोतबा
  (घ) लगभग क्षेत्रफल-10.475 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
277/3, 278	0.065
299/9/क/2	0.094
127/2	0.162
279/2	0.093
285	0.004
996/1	0.081
286/2	0.028
289	0.032

(1)	(2)	(1)	(2)
311	0.178	291/1	0.032
330/2 क	0.085	330/1	0.024
330/3	0.024	330/4	0.004
314/4	0.178	314/2	0.012
223/1, 224/1, 379/1	0.226	315/4	0.112
321/1	0.101	329/2	0.226
322/1	0.004	318/2	0.332
469	0.040	320/1	0.041
473/1	0.267	321/2	0.101
987	0.040	1497/1 ख	0.121
986/4	0.040	471	0.232
1001/2	0.129	1099	0.128
1101	0.081	1000	0.137
1102	0.210	1096, 1103	1.227
493/4	0.066	1424/1	0.140
126	0.057	1082/1	0.417
127/3	0.089	1088/6	0.486
279/6	0.032	1089/1	0.081
276	0.137	1367/1 क	0.121
273	0.032	1367/1 ग	0.129
283/3	0.210	1425/3	0.040
295/1	0.065	1390/1	0.045
290	0.332	1409/3	0.097
312/1	0.012	1423/3	0.093
331/2	0.065	1426	0.129
332	0.004	1369/3	0.012
315/6	0.081	1412	0.004
314/5	0.032	1427/3	0.162
320/2	0.061	1052/5	0.024
382/1	0.332	1093/3	0.032
470	0.093	1369/1	0.263
986/2	0.032	1367/1 ङ	0.121
997	0.069	1425/1	0.040
1100	0.129	1367/1 घ	0.081
1098/1	0.008	1370	0.144
1095	0.0105	1427/2	0.129
1093/1	0.035	1424/3	0.093
1091/1	0.081	1032/1	0.028
1054/1	0.065	योग 92	10.475
1367/1 ख	0.121		
1368/1	0.101		
127/1	0.028		
277/2, 278	0.202		
279/9 क/1	0.184		
284/3	0.129		
988, 994/1	0.210		
286/3 क	0.114		
292	0.170		

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-खमगढ़ा जलाशय आरबीसी मुख्य नहर का अनिवार्य भू-अर्जन प्रकरण.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पत्थलगांव के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दुर्गेश मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन विशेष सचिव.